**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू**
**पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)**

मुकदमा नम्बर 11/2025 | दायर दिनांक–07.01.2025

1. दाखु पत्नी सुरजा पुत्री भोलाराम
2. सावित्रि देवी पत्नी ताराचंद पुत्री भोलाराम जाति जाट निवासी ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू।

**– वादीगण**

**बनाम**

1. अनिता पुत्र भूराराम
2. ओमप्रकाश पुत्र भूराराम
3. जानकी पत्नी भूराराम
4. विक्रम पुत्र भूराराम
5. जीताराम पुत्र मुकुन्दा
6. पोकर राम पुत्र मुकुन्दा
7. बेगाराम पुत्र मुकुन्दा
8. भागीरथ पुत्र मुकुन्दा समस्त जाति जाट निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
9. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

**–प्रतिवादीगण**

**वकील वादी : – श्री सज्जन कुमार चाहर**
**वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय**

**दावा बाबत घोषणा**
**व रिकॉर्ड दुरूस्ती**

## –:: निर्णय ::–

**दिनांक–17.07.2025**

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम गोठड़ा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 161 पुराना 132 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 1.27 है0, खसरा नम्बर 174 रकबा 1.19 है0, खसरा नम्बर 268 रकबा 2.82 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.28 है0 तथा भूमि खाता संख्या नया 572 पुराना 508 कें अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 160, 161, 163, 180, 181, 182, 183 रकबा क्रमशः 0.25, 0.05, 0.11, 0.04, 0.71, 0.39, 0.32 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.87 है0 तथा इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 310 पुराना 288 के अंतर्गत खसरा नम्बर 128, 237 रकबा क्रमशः 0.07, 2.34 कुल किता 2 कुल रकबा 2.41 है0 स्थित है।

राजस्व ग्राम गोठड़ा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 161 पुराना 132 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 1.27 है0, खसरा नम्बर 174 रकबा 1.19 है0, खसरा नम्बर 268 रकबा 2.82 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.28 है0 में वादिया हिस्सा 135/352 हिस्सा दर्ज है जिसमें से जरिये विक्रय पत्र इकरारनामा द्वारा वादिया ने खसरा नम्बर 172 व 174 में अपना हिस्सा 135/352–135–352 का विक्रय पत्र प्रतिवादीगण के नाम करवा दिया जिस पर वादियागण का कोई हिस्सा व कब्जा काश्त नही है। भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 2.82 है0 सम्पूर्ण वादियागण के [illegible]/2 हिस्सेदार की खातेदारी दर्ज करके घोषणा की जावे प्रतिवादीगण ने जरिये इकरारनाम [illegible] पत्र [illegible] समर्पित कर दिया इस प्रकार ग्राम गोठडा में स्थित भूमि खाता संख्या नया 161 पुराना 132 में [illegible] की खसरा नम्बर 268 रकबा 2.82 है0 की सम्पूर्ण खसरा की खातेदार काश्तकार [illegible] हिस्से [illegible] घोषणा की जावें [illegible] खसरा नम्बर 172 व 174 में वादिया का हिस्सा [illegible] नाम दर्ज किया जावे। [illegible] ग्राम गोठडा में भमि खाता संख्या नया 310 पुराना 288 के अंतर्गत खसरा नम्बर 128 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 237 रकबा 2.34 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.41 है0 की सम्पूर्ण खातेदारी वादिया के नाम 1/2–1/2 हिस्से अनुसार घोषणा की जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:56:06 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

वादियागण खसरा नम्बर 268 व खसरा नम्बर 128, 237 को जरिये इकरारनामा अनुबंध जमीन की अदला बदली के अनुसार इन्हीं खसरा नम्बर के काबिज काश्त है तथा इसमें पिछले 32 वर्षो से आबाद है मौके पर कब्जा काश्त का कोई विवाद नही है। इसलिए वादीगण को उक्त खसरा नम्बरान की खातेदार काश्तकार की घोषणा की जानी न्यायोचित है। इसलिए वाद घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम गोठड़ा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 161 पुराना 132 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 1.27 है0, खसरा नम्बर 174 रकबा 1.19 है0, खसरा नम्बर 268 रकबा 2.82 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.28 है0 भूमि में से खसरा नं0 268 रकबा 2.82 है0 की खातेदारी वादियागण के नाम 1/2–1/2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे तथा इसी हिस्से अनुसार घोषणा की जावे तथा इसी ग्राम मे भूमि खाता संख्या नया 310 पुराना 288 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर. 128 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 237 रकबा 2.34 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.41 है0 सम्पूर्ण की खातेदारी वादियागण के नाम 1/2–1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु दाखु, सुरजाराम तथा कमलेश के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–78 प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 –78, प्रदर्श 3 जमाबंदी सम्वत् 2075–78 4 जमाबंदी सम्वत् 2075–78 प्रदर्श 5 इकरारनामा प्रदर्श 6 मौके की छायाप्रति प्रदर्श 7 विधुत बिल आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–01 लगायत 04 से ग्राम गोठड़ा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 161 पुराना 132 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 1.27 है0, खसरा नम्बर 174 रकबा 1.19 है0, खसरा नम्बर 268 रकबा 2.82 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.28 है0 तथा भूमि खाता संख्या नया 572 पुराना 508 कें अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 160, 161, 163, 180, 181, 182, 183 रकबा क्रमशः 0.25, 0.05, 0.11, 0.04, 0.71, 0.39, 0.32 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.87 है0 तथा इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 310 पुराना 288 के अंतर्गत खसरा नम्बर 128, 237 रकबा क्रमशः 0.07, 2.34 कुल किता 2 कुल रकबा 2.41 है0 भूमि स्थित होना प्रमाणित है। प्रदर्श–5 इकरारनामा बाबत भूमि बेचान में स्पष्ट अंकित है कि हम भूराराम, पोकरराम, बेगाराम, जीताराम, भागीरथ पुत्रगण मुकन्दा पाचों सगे भाई है जिनके खातेदारी की जमीन वाके ग्राम गोठड़ा में ख0 न0 172 रकबा 1.27 है0 व ख0 न0 174 रकबा 1.19 है0 में से हिस्सा जमीन 1.23 है0 है। ग्राम गोठड़ा में भूमि ख0 न0 160 रकबा 0.25 है0, ख0 न0 161 रकबा 0.05 है0, ख0 न0 163 रकबा 0.11 है0, ख0 न0 180 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 181 रकबा 0.71 है0, ख0 न0 182 रकबा 0.39 है0, ख0 न0 183 रकबा 0.32 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.87 है0 भूराराम, पोकरराम, बेगाराम, जीताराम, भागीरथ पुत्रगण मुकन्दा की है। ग्राम गोठड़ा में भूमि ख0 न0 128 रकबा 0.07 है0, ख0 न0 237 रकबा 2.34 है0 जो अकेले भूराराम, पोकरराम, बेगाराम, जीताराम, भागीरथ पुत्रगण मुकन्दा की खातेदारी काश्त की है। उक्त भूमि का रेवेन्यू रिकॉर्ड उपरोक्त अनुसार बना हुआ है। ग्राम गोठड़ा में भूमि ख0 न0 160 रकबा 0.25 है0, ख0 न0 161 रकबा 0.05 है0, ख0 न0 163 रकबा 0.11 है0, ख0 न0 180 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 181 रकबा 0.71 है0, ख0 न0 182 रकबा 0.39 है0, ख0 न0 183 रकबा 0.32 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.87 है0 में से हिस्सा 1/4 दाखु व सावित्रि पुत्रीया भोलाराम की है। ग्राम गोठड़ा में भूमि ख0 न0 172 रकबा 1.27 है0 व ख0 न0 174 रकबा 1.19 है0 ख0 न0 268 रकबा 2.82 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.28 है0 जिसमें 4.05 है0 जमीन दाखु व सावित्रि के कब्जे की है। पार्टी नं0 1 व 2 अपने हिस्से व कब्जे की जमीन को [illegible] व काबिज है लेकिन सहुलियत के अनुसार दोनों पार्टीया ने अपने अपने हक व कब्जे की जमीन को एक दु[illegible] है व कब्जा एक दुसरे को दिया है जैसे पार्टी नं0 1 भुराराम, पोकर राम, बेगाराम, जीताराम [illegible] ने हक व हिस्से का खेत ख0 नं0 172, 174 व 268 कुल रकबा 5.28 है0 में से 12 बीघा खाम [illegible] पार्टी नं0 2 से ली है तथा इसके अलावा ख0 न0 160, 161, 163, 180, 181, 182, 183 कुल रक[illegible]87 है0 में से पार्टी नं0 2 के हिस्से की 1/4 जमीन ली है इसके अलावा ख0 न0 174 की जमीन जो गां0 मं0 बाड़ा रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज है इसमें से 1.19 है0 जमीन भी पार्टी नं0 1 ने पार्टी नं0 2 से ली है। पा[illegible]0 2 दाखु व सावित्री ने पार्टी नं0 1 से ख0 न0 128 रकबा 0.07 है0 व ख0 न0 237 रकबा 2.34 है0 जो पार्टी नं0 1 के अकेले के कब्जे काश्त की है जिसको बदले में ली है। उपरोक्त जमीन के आदान प्रदान के मुताबिक एक दुसरे अपने अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा प्राप्त कर लिया है व काबिज हो गये है। इसके मुताबिक भविष्य में प्रत्येक पक्ष बदले की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:56:06 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. जे. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

जमीन का राजस्व रिकॉर्ड अपने अपने नाम करा सकेगा इसमें एक दुसरे को व एक दुसरे के वारीसानन को भविष्य तक अज नही होगा। उक्त ईकरारनामा में गवाह के रूप में दाखु, सावित्री, भूराराम, पोकरराम, बेगाराम, जीताराम, भागीरथ व उपस्थित गवाहान् रामलाल व रामेतार के हस्ताक्षर है। जिससे भूमि जरिये इकरारनामा एक दुसरे को हस्तांतरित किया जाना प्रमाणित होता है। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा से हस्तांतरित किया जाना प्रमाणित है तथा तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 2.82 तथा भूमि खसरा नं0 237 रकबा 2.34 है0 पर कब्जा काश्त वादीगण का होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद आज तक पेश नही किया है जिससे स्पष्ट है कि वादी का आज तक प्रतिवादीगण की सहमति से शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी उक्त वाद के संबंध में किसी प्रकार की प्रतिरक्षा पेश नही की है। ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर लिया है एवं दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नही रहा है, वहां न्यायालय को राजस्व हानि/कर चोरी का पक्ष देखना आवश्यक है। वादी द्वारा अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। न्यायालय राय में उक्त प्रकरण कर अपवचन का प्रतीत होता है अतः वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

**–:: आदेश ::–**

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम गोठड़ा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 161 पुराना 132 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 2.82 है0 का खातेदार वादियागण 01 व 02 प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से का तथा भूमि खाता संख्या नया 310 पुराना 288 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 128 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 237 रकबा 2.34 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.41 है0 का खातेदार काश्तकार वादीयागण 01 व 02 प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी॰एल॰सी॰ दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुशील कुमार सैनी )
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:56:06 IST
Reason: SelfAttested

( ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी )

**अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़**
**मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)**

**दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती**

**मुकदमा सं0:–11/2025** **( दाखु आदि बनाम अनिता आदि )**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 17.07.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम गोठडा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 161 पुराना 132 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 2.82 है0 का खातेदार वादियागण 01 व 02 प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से का तथा भूमि खाता संख्या नया 310 पुराना 288 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 128 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 237 रकबा 2.34 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.41 है0 का खातेदार काश्तकार वादीयागण 01 व 02 प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी॰एल॰सी॰ दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ

स.सी.ई. कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ

| मुद्दई | रूपया पैसे | मुद्दासलह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 04.00 | स्टाम्प अर्जी दावा | 0.00 |
| वकालतनामा स्टाम्प | 02.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 |
| स्टाम्प. वजह सबूत | – | स्टाम्प अर्जी | – |
| महनताना वकील | – | महनताना वकील | – |
| खर्चा गवाहान | – | खर्चा गवाहान | – |
| फीस कमिश्नर | – | फीस कमिश्नर | – |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | – | बाबत इजराय हुक्मनामा | – |
| मुतफरिक मिजान | 06.00 | मुतफरिक मिजान | 0.00 |
| कुल | 12.00 | | 0.00 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:56:06 IST
Reason: SelfAttested